राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 2140/2014/अजमेर

श्रीमति ज्योति सोनी पत्नि श्री मंजीत सिंह सोनी, जाति–सिख, निवासी–प्रकाश रोड़, अजमेर जरिये मुख्तयार आम श्रीमति विद्यादेवी पत्नि श्री हरचन्द मण्डोतिया, निवासी–शालीमार कॉलोनी, आदर्श नगर, अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,द्वितीय,अजमेर
2.श्रीमति मंजू मेहता पत्नि श्री दिनेश सिंह मेहता, जति–ओसवाल जैन, निवासी–स्वास्तिक टेंट हाऊस, पुलिस लाईन, अजमेर

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री कृष्ण गोपाल खत्री, अधिकृत अधिवक्ता .....प्रार्थी की ओर से

श्री आर. के.अजमेरा उप राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

अनुपस्थित .....अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई कोई उपस्थित नहीं,एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक 25/01/2016

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलक्टर(मुद्रांक)वृत,अजमेर जिसे आगे कलक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा, के प्रकरण संख्या 207/10 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम घूघरा तहसील व जिला अजमेर स्थित भूखण्ड आराजी खाता संख्या 326 नया 387 पुराना के खसरा संख्या 1510 मिने का भाग है, जिसकी पूर्व में भुजा का नाम 43 फुट, पश्चिम की भुजा का नाप 50 फुट, उतर की भुजा का नाप 131.3 फुट व दक्षिण की भुजा का नाप 104.3 फुट जिसका कुल क्षेत्रफल 635.84 वर्गगज है, को प्रार्थीया को रू0 5,50,000/– में विक्रय कर, विक्रय विलेख उप पंजीयक, अजमेर द्वितीय के समक्ष दिनांक 7.1.2010 को पंजीयन हेतु पेश किया। उप पंजीयक ने प्रस्तुत विलेख को पंजीयन कर, पक्षकारान को लौटा दिया। तत्पश्चात उप पंजीयक ने उक्त भूखण्ड की मार्केट वेल्यू के अनुसार कम होने से मुद्रांक अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत कमी मुद्रांक, पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु नोटिस क्रेता/विक्रेता को जारी किये। संबंधित क्रेता द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराने पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रेफरेंस कलक्टर(मुद्रांक) अजमेर को पेश किया। कलक्टर(मुद्रांक) ने रेफरेंस दर्ज कर, संबंधित क्रेता को नोटिस जारी किया परन्तु संबंधित पक्षकारान उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुए। कलक्टर(मुद्रांक) ने उनके

खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपने निर्णय दिनांक 13.12..2010 द्वारा रेफरेंसानुसार मालियत रू0 25,17,926/–मानते हुए, कमी मुद्रांक रू0 77,830/–,पंजीयन शुल्क रू0 19,450/– तथा शास्ति रू0 220/– कुल रू0 97,500/–प्रार्थीया के वसूल करने के आदेश दिये। कलक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रार्थीया निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

अप्रार्थी संख्या दो बावजूद तामिल नोटिस अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध आज दिनांक 25.01.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख को उप पंजीयक द्वितीय अजमेर द्वारा पंजीबद्ध की है तथा नियमानुसार मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है। उप पंजीयक ने दस्तावेज की मालियत इस भूखण्ड के नेशनल हाईवे पर होने के आधार पर व्यवसायिक दर से तय करते हुए मालियत आंकी गई है वह निराधार है। उप पंजीयक ने दस्तावेज को कमी मालियत का मानते हुए, कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत किया है। कलक्टर(मुद्रांक) ने भी प्रार्थी को विधिवत अवसर प्रदान किये बिना ही तथा पक्ष जाने बिना ही एकपक्षीय निर्णय दिनांक 13.12.2010 पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। उनका निवेदन था कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे एवं कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय को अपास्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता बहस के दौरान कथन किया कि उपपंजीयक द्वारा दस्तावेज में मार्केट वेल्यू के आधार पर मालियत निर्धारित की है एवं प्रार्थी को सूचित भी किया है उसके बाद रेफरेंस तैयार कर कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेंस प्रस्तुत किया है। कलक्टर (मुद्रांक) ने भी प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है। अतः कलक्टर (मुद्रांक) ने निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उनका निवेदन था कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जावे।

प्रार्थीया द्वारा निगरानी में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम को, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थीया (निगरानीकर्ता) के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। कलक्टर(मुद्रांक) की प्रथम आदेशिका दिनांक 3.6.2010 की है जिसमें दिनांक 21.16.2010 को पक्षकारों को नोटिस जारी करने का लिखा हुआ है। तत्पश्चात दिनांक 21.6.2010 की पेशी में 19.10.2010 के लिए तथा 19.10.2010 की आदेशिका में दिनांक 15.11.2010 के लिए तथा दिनांक 15.11.2010 की आदेशिका में दिनांक 13.12.2010 के लिए नोटिस जारी करने का लिखा हुआ है। नोटिस जरिये रजिस्ट्री भेजा जावे यह भी आदेशिका में वर्णित नहीं है तथा 13.12.2010 को एकतरफा निर्णय पारित किया गया उस आदेशिका में भी श्रीमति ज्योति सोनी पर तामील हो गई हो या तामील की उपधारण कर ली गई हों यह वर्णित नहीं है फिर भी एकपक्षीय निर्णय दिनांक 13.12.2010 को पारित कर दिया गया।

लगातार.....3

पत्रावली में एक नोटिस दिनांक 15.11.2010 की पेशी का संलग्न है जिस पर रजिस्ट्री रसीद चिपकाई हुई है लेकिन वो नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के भेजा गया हो ऐसा वर्णित नहीं है न ही कोई ए.डी.रसीद संलग्न है। रजिस्ट्री की रसीद पर भी पता ज्योति सोनी नगरा अजमेर वर्णित है। इस प्रकार उक्त रसीद पर प्रार्थीया का पूरा पता भी वर्णित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया पर नोटिस की तामील हो गयी हो यह दर्शित नहीं होता है। इसके अलावा कलक्टर(मुद्रांक) वृत अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 13.12.2010 में लिखा है कि **पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार रेफरेंस मालियत उचित होने के कारण रेफरेन्स मूल्यांकन रू0 25,17,926/– स्वीकार करते है** लेकिन मालियत का निर्धारण करने के अपने कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। इस कारण कलक्टर(मुद्रांक) का निर्णय स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। न्याय का भी यह तकाजा है कि पक्षकारों को सुनकर सकारण निर्णय पारित किया जाना चाहिये, लेकिन निर्णय में कलक्टर(मुद्रांक) ने किस आधार पर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, यह अंकित नहीं है। इस कारण कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत निर्णय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस कारण प्रार्थीया/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर, कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ **"प्रतिप्रेषित"** किया जाता है कि **वें इस प्रकरण में संबंधित पक्षकारों को सुनकर सभी विधिक बिन्दुओं व तथ्यों पर विचार करने के पश्चात तथा मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानुसार, प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर सकारण निर्णय लिखते हुए पुनः निर्णय पारित करे।**

निर्णय सुनाया गया।

25-1-2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य